राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

ज्येष्ठ 10, बुधवार, शाके 1945-मई 31, 2023
Jyaistha 10, Wednesday, Saka 1945- May 31, 2023

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 24, 2023

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/ 1291 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत आहोर (जिला जालोर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जालोर	आहोर	ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रांम आहोर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 16,867) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण राजस्व ग्रांम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनंसख्या - 16, 867) जनगणना 2011 के अनुसार के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आहोर के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमषः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेष सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।